

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-1726/11-सी-FP/UP/Road/47893/2020, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 19, 2021

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद मथुरा में वृन्दावन-छटीकरा-राधाकुण्ड मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के निर्माण में प्रस्तावित 3.1746 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/Road/47893/2020)

संदर्भ- भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०६/128/2020/एफ०सी०/1033, दिनांक-24.11.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-2352/14-1 दिनांक 11.01.2021 द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 18.01.2021 को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित एक प्रति में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-1726/11-सी-FP/UP/Road/47893/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 3- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मथुरा।
- 4- अधिशासी, अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।